न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच. गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 44/2018 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2018/00044)

1. हेतराम पुत्र जीयाराम जाट साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (फौत)
   - 1/1 ज्यानी बेवा हेतराम जाट साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
   - 1/2 हनुमान पुत्र हेतराम जाट साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
   - 1/3 काशीराम पुत्र हेतराम जाट साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
   - 1/4 मीरा पुत्री हेतराम जाट साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
   - 1/5 सरस्वती पुत्री हेतराम जाट साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
   - 1/6 सीमा पुत्री हेतराम जाट साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
   - 1/7 रूक्मा पुत्री हेतराम जाट साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकारा।
2. शाखा प्रबन्धक, बैक ऑफ इण्डिया, शाखा बड़ोपल

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री राजकुमार व्यास – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली –राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांकः 15–09–2021

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 04–12–2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा ने अपीलान्ट हेतराम एव रेस्पोडेन्ट सं. 2 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर कहा कि ग्राम बड़ोपल की जमाबंदी सम्वत् 2070–73 व खाता सं. 468 पर हेतराम पुत्र जीयाराम के नाम दर्ज ख. नं. 2685/1423 रकबा 5.085 है0 भूमि खातेदारी दर्ज है जिसे जमाबंदी से विलोपन किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.12.2017 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

136 स्वीकर कर खं. नं. 2685/1423 रकबा 5.085 है0 रकबा शून्य होने के कारण निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो पर अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुवे बहस के दौरान कहा अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार पीलीबंगा ने प्रार्थना पत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट पेश कर मांग की कि ग्राम बड़ोपल का खसरा नम्बर 2685/1423 की करीब 20 बीधा भूमि जमाबन्दी सम्मत् 2070 से 2073 मे गलत रूप अपीलान्ट के नाम दर्ज हुई है जिसे विलोपित किया जावे। उक्त भूमि सन् 74 से अपीलान्ट को आरजी काश्त पर आवंटन थी तथा अपीलान्ट के नाम दर्ज हुई है, जमाबन्दी में अपीलान्ट खातेदार था। मौके पर कब्जा काश्त आवटन के समय से अपीलान्ट का है। अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है क्योकि सैक्शन 136 में खातेदारी खारिज नही की जा सकती है। धारा 136 के अन्तर्गत वही गलती शुद्व हो सकती है जो लिपिकीय गलती हो या जिन्हे दोनो पक्षकार स्वीकार करे। मेरी सहमती नही थी। मेरा रकबा गलत निरस्त कर दिया। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जावे तथा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2017 निरस्त किया जावे। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2018 पृष्ठ 479 (HIGH COURT), RRD 1986 पृष्ठ 137, RRD 2016 पृष्ठ 394, RRD 2008 पृष्ठ 34, Land Revenue Act Sec 136 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेंट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का रकबा गलत निरस्त किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.12.2017 को निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। सर्व प्रथम मियाद पर विचार किया जाता है।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

A. प्रस्तुत अपील के क्रम में मियाद के बिन्दु के समर्थन में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र में दर्शाये कारणो पर विश्वास करते हुवे मियाद के बिन्दु को नजर अन्दाज करते हुऐ अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

B. प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 04.12.2017 के विरूद्व पेश की गई है जिसमें तहसीलदार पीलीबंगा के प्रार्थना पत्र पर ग्राम बड़ोपल के खं. नं. 2685/1423 की 5.085 हैक. भूमि अपीलान्ट के नाम बिना किसी विधिक आवटन के आदेश अथवा निर्णय के दर्ज की गई है को विलोपित करने का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुवे अपीलान्ट के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 65 मे काल्पनिक आधार पर दर्ज होने तथा इस संबध मे तत्कालीन पटवारी हल्का के विरूद्व एफ आई आर दर्ज की कार्यवाही की जाने के आधार पर उक्त प्रविष्टि को निरस्त किया है। इस संबध में अपीलान्ट की ओर से अपील में उक्त भमि के आवटन निर्णय आदेश डिक्री से संबधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत ना तो अधीनस्थ न्यायालय में और ना ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किये, अपीलान्ट की अपील एव बहस तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर इस बात पर आधारित कि खातेदारी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत खारिज नही किया जा सकता, जबकि प्रस्तुत प्रकरण खातेदारी को निरस्त करने का न होकर अपीलान्ट का नाम बिना किसी विधिक दस्तावेज एवं नामान्तरकरण के सीधे ही जमाबन्दी में किये गये अंकन को विलोपित करने का है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–12–2017 में किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण उसमे हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर रहै। निर्णय आज दिनांक 15–09–2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच. गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर